



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त 2015—श्रावण 31, शक 1937

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 13-13/2013/1/55 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की तृतीय श्रेणी-अलिपिकीय (सह-चिकित्सा) संवर्ग सेवाओं में भर्ती एवं सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय तृतीय श्रेणी-अलिपिकीय (सह-चिकित्सीय संवर्ग) भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2015 है।
  - (2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं :-इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा,
  - (ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची चार के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनी विभागीय पदोन्नति समिति,
  - (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत हैं, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा,
  - (घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/25/4/84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,
  - (ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत हैं, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,
  - (च) "अनुसूची जातियों" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है,
  - (छ) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा कोई जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन

मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

- (ज) "सेवा" से अभिप्रेत है, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा तृतीय श्रेणी अलिपिकीय (सह-चिकित्सा) संवर्ग सेवा ;
- (झ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य ।
3. विस्तार तथा लागू होना : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।
4. सेवा का गठन :- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों ; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।
5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि:- (1) सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान तथा उस सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार होगी :
- परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।
- (2) सेवा के सदस्य मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2008/नियम-चार दिनांक 24/1/2008 के अधीन स्थापित वेतनमान पाने के हकदार होंगे।
6. भर्ती का तरीका :
- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-
- (क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा ;
- (ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण करते हैं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय, अनुसूची-दो में दर्शाए गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान किसी रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका और प्रत्येक तरीके से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, सरकार के परामर्श से, अवधारित की जाएगी।
- (4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

7. सेवा में नियुक्ति : इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा या पद में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् की जाएगी अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें : सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात् :-

(1) आयु :-

(क) उसने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारी हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ;

(दो) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण :- "छंटनी किए गए सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी घटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छह माह की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन चवर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हों अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके

परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण :-** पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की शिफारिशों या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छंटनी की गई हो अथवा अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कंसेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें अल्पकालीन वचनबंध अवधि तथा नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ;
- (3) मध्यप्रदेश सिविल यूनिट के भूतपूर्व सैनिक ;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है, जिन्हें उनकी संविदा पूरे होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो ;
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं ;

- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लगने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ;
- (घ) निराश्रित, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह छूट आयु सीमा संबंधी अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी। म0प्र0 सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट होगी;
- (ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (स्कीम) के अधीन दम्पति के किसी पुरस्कृत सवर्ण पति पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;
- (छ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/बोर्ड के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नॉन कमीशन्ड अधिकारियों को उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ञ) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम-8 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधित रियायतों के अंतर्गत चयन के लिये पात्र माना गया हो, आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से छंटनी कर दी गई हो, पात्र बने रहेंगे किसी अन्य मामले में उनकी आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी ;

अथवा पद से छटनी कर दी गई हो, पात्र बने रहेंगे, किसी अन्य मामले में उनकी आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी ;

- (ट) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करना होगी ;
- (ठ) अभ्यर्थी का आचरण अच्छा होना चाहिये तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये ;
- (ड) अभ्यर्थी का राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक (एक) 143/86/(4) दो, दिनांक 29.06.1987 के अनुसार, सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख से 90 दिन पूर्व, किसी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :-

अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए अनुसूची- तीन में दर्शाई गई विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, परन्तु :-

- (क) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह माना जा सकेगा जो यद्यपि विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को पात्र ठहराता है ; और
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्ह हैं किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(3) फीस :

अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता -

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी

द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए निरहर्ता माना जा सकेगा।

- (2) पुरुष अभ्यर्थी जिसने 21 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तथा महिला अभ्यर्थी जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिला के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परंतु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसा मामला लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जावेगा।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसके पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहर्त नहीं होगा।

- (5) पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं तथा इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

2. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :- परीक्षा/चयन में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

1. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :-

- (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर अवधारित करे।
- (2) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा;



- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पद आरक्षित रखे जाएंगे;
- (4) "मध्यप्रदेश सिविल सेवा" (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण होगा;
- (5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 15 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो;
- (6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को, जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अध्यक्षीन रहते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ;
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार श्रवण, दृष्टि तथा अस्थि बाधित विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 6: (2+2+2) आरक्षण रहेगा;
- (8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व

अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा ।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गये अभ्यर्थियों की सूची :-

- (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक चयन सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी तथा ऐसी सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) चयन सूची, उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. परिवीक्षा :- सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

- (1) पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :

परन्तु इस उप-नियम के अधीन विभागीय पदोन्नति समिति के गठन के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 8 के उपबंधों का अनुसरण किया जाएगा।

- (2) विभागीय पदोन्नति समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा।
- (3) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

15. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :-

- (1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उस पद पर जिससे पदोन्नति की जाना है या उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो जैसा कि अनुसूची—चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों। किंतु आपाती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवा मुक्त अधिकारियों को सेवा में नियुक्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/1(3)67 दिनांक 21/10/1967 के अनुसार जिस तारिख से सेवा में नियुक्त माना गया है उसी तारिख से उसकी सेवा की गणना की जावेगी। किंतु इस नियम के अंतर्गत किसी कनिष्ठ व्यक्ति को प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिये केवल उसकी निर्धारित सेवा की

अवधि पूरी करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

- (2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध विचारण तथा आरक्षण के लिए लागू होंगे।

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :-

- (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गए हों तथा यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों को सम्मिलित कर एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति करने के लिए तैयार की जाएगी।
- (2) चतुर्थ श्रेणी के पद से तृतीय श्रेणी के पद पर एवम तृतीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनीयरटी-सबजेक्ट -टू फिटनेस) होगा।
- (3) ऐसी चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।
- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा तथा यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित करना प्रस्तावित किया जाता है तो विभागीय पदोन्नति समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

17. चयन सूची :-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप में अनुमोदित चयन सूची अनुसूची चार के कालम (2) में दर्शित किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में दर्शित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी;
- (2) चयन सूची साधारणतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 17 के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-

- (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएंगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों।
- (2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना साधारणतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

19. निर्वचन :- यदि इन नियमों में निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. शिथिलीकरण :- इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
22. **निरसन तथा व्यावृत्ति :-** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

अनुसूची - एक  
(नियम 5 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या,  
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अधीनस्थ संस्थाएं स्तर पर अलिपिक वर्गीय संवर्ग  
संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ कार्यालय

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान वेतन बैण्ड+ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लेब असिस्टेंट	198	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
2	टेक्नीकल असिस्टेंट	8	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
3	डायलेसिंग टेक्नीशियन	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400

•4	लेब टेक्नीशियन	371	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
5	साइटो टेक्नीशियन	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
6	सीनियर टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
7	बायोकेमिस्ट	13	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
8	टेक्नीकल सुपरवाइजर	3	तृतीय श्रेणी	Rs.9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3600
9	डार्करूम असिस्टेंट	14	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
•10	रेडियोग्राफर	58	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
11	सोनोग्राफर टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
12	मोल्ड रूम टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
13	गामा केमरा टेक्नीशियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
•14	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	16	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
•15	सीनियर रेडियोग्राफर	21	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
16	कार्डियोपरफ्यूनिस्ट	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
17	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
18	ड्रेसर / ड्रेसर ग्रेड-1	32	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
19	फार्मासिस्ट- श्रेणी-2 कम्पाउन्डर (पुराना नाम)	150	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
20	स्टोर कीपर (त्रिकित्सास्त्रय औषधि भंडार )	79	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
21	फार्मासिस्ट श्रेणी -1	10	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
22	फार्मासिस्ट केमिस्ट	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
23	फिजियोथेरापीस्ट टेक्नीशियन	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
24	ओ.टी. असिस्टेंट	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900

25	आथोलॉजी टेक्नीशियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
26	कान्टेक्ट लेंस टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
27	रिहब्लिटेशन असिस्टेंट	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
28	आप्टोमेट्रिस्ट	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
29	हेल्थ एजुकेटर	8	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
30	कारपेटर	13	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1800 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
31	आर्थाटैक्नीशियन	7	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
32	प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
33	शु-मेवर	8	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
34	आक्युपेशनल फिजिकल इंस्ट्रक्टर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
35	आक्युपेशनल थेरापिस्ट	11	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
36	जूनियर फिजियोथेरापिस्ट	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
37	मैसुअर	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
38	डेन्टल हाईजनिस्ट	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
39	डेन्टल मैकेनिक	10	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
40	डेन्टिस्ट	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
41	रिसेप््टिस्ट	13	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
42	सोशल वर्कर	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
43	मेडिकोसोशल वर्कर	32	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
44	डायलेसिस सोशल वर्कर	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
45	साइको सोशल वर्कर	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
46	असिस्टेंट लायब्रेरियन	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
47	केटलागर	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
48	लायब्रेरियन (ग्रंथपाल)	7	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) वेतनमान भविष्य में की जाने वाली भर्ती हेतु ) 1 Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3600 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
49	लिफ्ट मैन	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
50	मिस्ट्री	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
51	गैस मैकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
52	वायर मैन	7	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
53	प्लम्बर	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
54	प्रेस मैन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
55	क्लीनर	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
56	वाहन चालक	51	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
57	मोटर मैकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
58	टेलीफोन ऑपरेटर	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
59	टेलीफोन अटेंडेन्ट	6	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
60	इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900



(दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)				
61	टर्नर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
62	प्रोजेक्टिस्ट	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
63	हेड कुक	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
•64	इलेक्ट्रीशियन	7	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान))
65	सेनेटरी इन्स्पेक्टर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
•66	पी.टी.आई.	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3600 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान))
67	लान्डी सप्लायिस्ट	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
68	बिल्डिंग केयरटेकर	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
69	मानटेसरी ट्रेन्ड टीचर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
70	वोकेशनल एक्सपर्ट	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
•71	आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	6	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान))
•72	फोटो आर्टिस्ट	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
73	ग्लास ब्लोयर	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
74	सब ओवरसियर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
75	भाडलर	6	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
•76	थियेटर टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान ) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
•77	मेडिकल फोटोग्राफर	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3600 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान))
78	डिप्टी लाईब्रेरियन (उप ग्रंथपाल)	10	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
79	डाक्यूमेंटलिस्ट	11	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
80	बिल्डिंग केयर टेकर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1800
81	बिल्डिंग केयर टेकर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
82	कार्डियोथेरासिक टेक्नीशियन	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
83	कैथ लेब टेक्नीशियन	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
84	नेत्र विज्ञान टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
85	पलमोनरी टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
86	रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
87	स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
88	ऑ. टी. टेक्नीशियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
89	सीनीयर फेजियोथेरेपी टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
90	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
91	इन्डोस्कोपिक टेक्नीशियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400

92	एक्स-रे टेक्नीशियन	8	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
93	प्लास्टर टेक्नीशियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
94	क्लीनिकल साईक्लाजिस्ट	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
95	आर्टिस्ट कम म्यूजियम असिस्टेंट	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
96	फिजिकल इंस्ट्रक्टर	1	तृतीय श्रेणी	Rs.9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs.3200 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
97	हेल्थ असिस्टेंट	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
98	आक्यूपेशनल इंस्ट्रक्टर	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
99	इलेक्ट्रीशियन	4	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
100	पंप चालक	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
101	हेल्थ इंस्पेक्टर	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
102	टेक्नीकल असिस्टेंट	8	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
103	बायोफिजिक्स	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
104	फिजिसिस्ट	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
105	फार्मा मेडिकल स्टाफ	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
106	फिजियोथेरेपी सह सोशल वर्कर	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
107	लायब्रेयरी असिस्टेंट	5	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
108	वेन ड्राईवर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
109	फिजिकल डायरेक्टर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
110	मेसन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
111	ए. सी. टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
112	ओ. टी. टेक्नीशियन	14	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
113	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
114	डिप्टी लाईब्रेरियन	10	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
115	असिस्टेंट परफ्यूजजिस्ट	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
116	फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
117	लेब टेक्नीशियन (वायरालाजी)	12	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
118	लेब असिस्टेंट (वायरालाजी)	8	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
119	डेंटल मेकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100 (दिनांक 1.4.2006 से लागू संशोधित वेतनमान) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)

120	म्यूजियम कम आर्टिस्ट	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
121	वाहन मेकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
122	पी. टी. आई	1	तृतीय श्रेणी	Rs.9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs.3200 (दिनांक 1.4.2006 से लागू वेतनमान) Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100 (दिनांक 1.4.2006 के पूर्व लागू वेतनमान)
123	योगा थेरापिस्ट	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
124	आर्थोपेटिक टेक्निशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
125	आर्थोपेटिक टेक्निशियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
126	ओ. टी. टेक्निशियन ( ड्रामा )	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
127	एयर कंडीशनर अपरेटर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
128	ओवरसियर	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
129	सहायक लायब्रेरियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
130	रेडियो थेरेपी टेक्नालाजिस्ट	12	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
131	रिकार्ड टेक्निशियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
132	डिसीस कांडर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
133	प्रोजेक्टनिष्ट कम मेकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
134	लायब्रेरियन (ग्रंथपाल)	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 9300-34800+ ग्रेड-वेतन Rs. 3200
135	डेंटल टेक्नीशियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
136	असिस्टेंट लाइब्रेरियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
137	डाक्युमेंटलिस्ट	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
138	कटेलागर	3	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
139	असिस्टेंट लायब्रेरियन	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900
140	इलेक्ट्रीशियन कम मेकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2400
141	व्यावसायिक प्रशिक्षिका	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
142	लायब्रेरियन	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2800
143	ड्रायवर	1	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 2100
144	सब स्टेशन अटेंडेंट	2	तृतीय श्रेणी	Rs. 5200-20200+ ग्रेड-वेतन Rs. 1900

(\*) मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-6/1/वे आ प्र/96 दिनांक 5/17 अक्टूबर 2006 द्वारा यह वेतनमान दिनांक 1/4/2006 से संशोधित किये गये हैं।

अनुसूची - दो  
(नियम 6 (2) देखिये)  
भर्ती का तरीका

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अधीनस्थ संस्थाएं— अलिपिकवर्गीय संवर्ग  
संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ कार्यालय

स. क.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा के सदस्यों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चिकित्सा शिक्षा विभाग	लेब असिस्टेंट	198	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
2	"	टेक्नीकल असिस्टेंट	8	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
3	"	डायलेसिस टेक्नीशियन	4	100 प्रतिशत	...	...
4	"	लेब टेक्नीशियन	371	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
5	"	साइटोटेक्नीशियन	4	100 प्रतिशत	...	...
6	"	सीनियर टेक्नीशियन	1	...	100 प्रतिशत	...
7	"	बायोकेमिस्ट	13	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
8	"	टेक्नोकल सुपरवाइजर	3	...	100 प्रतिशत	...
9	"	डार्करूम असिस्टेंट	14	...	100 प्रतिशत	...
10	"	रेडियोग्राफर	58	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	...
11	"	सोनोग्राफी टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत	...	...
12	"	मोल्ड रूम टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत	...	...
13	"	गामा केमरा टेक्नीशियन	2	100 प्रतिशत	...	...
14	"	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	16	100 प्रतिशत	...	...
15	"	सीनियर रेडियोग्राफर	21	...	100 प्रतिशत	...
16	"	क्वार्टियोपरफ्यूनिस्ट	2	100 प्रतिशत	...	...
17	"	ई.ई.टी. टेक्नीशियन	2	100 प्रतिशत	...	...
18	"	ड्रेसर / ड्रेसर ग्रेड-1	32	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	...
19	"	फार्मासिस्ट— श्रेणी-2 कम्पाउन्डर (पुराना नाम)	150	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	...
20	"	स्टोर कीपर (चिकित्सालय औषधि भंडार )	79	...	100 प्रतिशत	...
21	"	फार्मासिस्ट वर्ग -1	10	...	100 प्रतिशत	...
22	"	फार्मासिस्ट केमिस्ट	2	100 प्रतिशत	...	...
23	"	फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन (तकनिशियन)	3	100 प्रतिशत	...	...
24	"	ओ.पी. असिस्टेंट	5	...	100 प्रतिशत	...
25	"	अर्थोलाॅजी टेक्नीशियन	2	100 प्रतिशत	...	...
26	"	कान्टेक्ट लेंस टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत	...	...
27	"	रिहब्लिटेशन असिस्टेंट	5	...	100 प्रतिशत	...
28	"	आप्टोमेट्रिस्ट	5	100 प्रतिशत	...	...
29	"	हेल्थ एजुकेटर	8	100 प्रतिशत	...	...
30	"	कारपेटर	13	100 प्रतिशत	...	...

3	"	आर्थोटेक्नीशियन	7	100 प्रतिशत		...
	"	प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन	5	100 प्रतिशत		...
33	"	शु-मेकर	6	100 प्रतिशत		...
34	"	आकुपेशनल फिजिकल इन्सट्रक्टर	1	100 प्रतिशत		...
35	"	आकुपेशनल थेरापिस्ट	11	100 प्रतिशत		...
36	"	जूनियर फिजियोथेरापिस्ट	1	100 प्रतिशत		...
37	"	मैसुअर	4	100 प्रतिशत		...
38	"	डेन्टल हाईजनिस्ट	5	100 प्रतिशत		...
39	"	डेन्टल मैकेनिक	10	100 प्रतिशत		...
40	"	डेन्टिस्ट	1	100 प्रतिशत		...
41	"	रिसेप्निस्ट	13	100 प्रतिशत		...
42	"	सोशल वर्कर	4	100 प्रतिशत		...
43	"	मेडिको सोशल वर्कर	32	100 प्रतिशत		...
44	"	साइको सोशल वर्कर	4	100 प्रतिशत		...
45	"	डायलेसिस सोशल वर्कर	3	100 प्रतिशत		...
45	"	असिस्टेंट लायब्रेरियन	4	100 प्रतिशत		...
46	"	केटलागर	4	100 प्रतिशत		...
47	"	लायब्रेरियन	7		100 प्रतिशत	...
48	"	लिफ्ट मैन	5	100 प्रतिशत		...
49	"	मिस्त्री	4	100 प्रतिशत		...
50	"	गैस मैकेनिक	1	100 प्रतिशत		...
51	"	वायर मैन	7	100 प्रतिशत		...
52	"	प्लम्बर	2	100 प्रतिशत		...
53	"	प्रेस मैन	1	100 प्रतिशत		...
54	"	क्लीनर	3	100 प्रतिशत		...
55	"	वाहन चालक	51	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	...
56	"	मोटर मैकेनिक	1	100 प्रतिशत		...
57	"	टेलीफोन ऑपरेटर	5	100 प्रतिशत		...
58	"	टेलीफोन अटेंडेन्ट	6	100 प्रतिशत		...
59	"	इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर	1	100 प्रतिशत		...
60	"	टर्नर	1	100 प्रतिशत		...
61	"	प्रोजेक्टनिस्ट	2	100 प्रतिशत		...
62	"	हेड कूक	3		100 प्रतिशत	...
63	"	इलेक्ट्रीशियन	7	100 प्रतिशत		...
64	"	सेनेटरी इंस्पेक्टर	1	100 प्रतिशत		...
65	"	पी.टी.आई.	2	100 प्रतिशत		...
66	"	लान्डी स्पेशलिस्ट	1	100 प्रतिशत		...
67	"	बिल्डिंग केयरटेकर	4	100 प्रतिशत		...
68	"	मान्टेसरी ट्रेन्ड टीचर	1	100 प्रतिशत		...
69	"	वोकेशनल एक्सपर्ट	1	100 प्रतिशत		...
70	"	आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	6	100 प्रतिशत		...
71	"	फोटो आर्टिस्ट	4	100 प्रतिशत		...
72	"	ग्लास ब्लोयर	4	100 प्रतिशत		...
73	"	सब ओवरसियर	1	100 प्रतिशत		...
74	"	माडलर	6	100 प्रतिशत		...
75	"	थियेटर टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत		...
76	"	मेडिकल फोटोग्राफर	4	100 प्रतिशत		...
77	"	डिप्टी लायब्रेरियन (उप ग्रंथपाल)	10	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
78	"	डाक्यूमेंटलिस्ट	11	100 प्रतिशत		...
79	"	बिल्डिंग केयर टेकर	1	100 प्रतिशत		...

80		ब्रेलिंग केयर टेकर	1	100 प्रतिशत		...
81	"	कार्डियोथेरासिक टेक्नीशियन	5	100 प्रतिशत		...
82	"	कैथ लेब टेक्नीशियन	4	100 प्रतिशत		...
83	"	चित्र विज्ञान टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत		...
84	"	एलमोनरी टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत		...
85	"	रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत		...
86	"	रूपीच थेरेपी टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत		...
87	"	ओ. टी. टेक्नीशियन	2	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
88	"	सीनीयर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	1		100 प्रतिशत	...
89	"	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	4	100 प्रतिशत		...
90	"	इन्डोस्कोपिक टेक्नीशियन	2	100 प्रतिशत		...
91	"	एक्स-रे-टेक्नीशियन	8	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	...
92	"	प्लास्टर टेक्नीशियन	2	100 प्रतिशत		...
93	"	क्लीनिकल साईक्लाजिस्ट	2	100 प्रतिशत		...
94	"	आर्टिस्ट कम म्यूजियम असिस्टेंट	1	100 प्रतिशत		...
95	"	फिजिकल इंस्ट्रक्टर	1	100 प्रतिशत		...
96	"	हेल्थ असिस्टेंट	2	100 प्रतिशत		...
97	"	आक्यूपेशनल इंस्ट्रक्टर	5	100 प्रतिशत		...
98	"	इलेक्ट्रीशियन	4	100 प्रतिशत		...
99	"	पंप चालक	1		100 प्रतिशत	...
100	"	हेल्थ इंस्पेक्टर	2	100 प्रतिशत		...
101	"	टेक्नीकल असिस्टेंट	8	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
102	"	बायोफिजिक्स	3	100 प्रतिशत		...
103	"	फिजिसिस्ट	1	100 प्रतिशत		...
104	"	फार्म मेडिकल स्टाफ	2	100 प्रतिशत		...
105	"	फिजियोट्रिस्ट सह सोशल वर्कर	3	100 प्रतिशत		...
106	"	लायब्रेयरी असिस्टेंट	5	100 प्रतिशत		...
107	"	वेन ड्राईवर	1	100 प्रतिशत		...
108	"	फिजिकल डायरेक्टर	1	100 प्रतिशत		...
109	"	मेसन	1	100 प्रतिशत		...
110	"	ए. सी. टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत		...

111	"	ओ. टी. टेक्नीशियन	14	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
112	"	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	3	100 प्रतिशत		...
113	"	डिप्टी लार्डब्रेरियन	10	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
114	"	असिस्टेंट परफयजजिस्ट	3	100 प्रतिशत		...
115	"	फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	1	100 प्रतिशत		...
116	"	लेब टेक्नीशियन (वायरालाजी)	12	100 प्रतिशत		...
117	"	लेब असिस्टेंट (वायरालाजी)	8	100 प्रतिशत		...
118	"	डेंटल मेकेनिक	1	100 प्रतिशत		...
119	"	म्यूजियम कम आर्टिस्ट	1	100 प्रतिशत		...
120	"	वाहन मेकेनिक	1	100 प्रतिशत		...
121	"	पी. टी. आई	1	100 प्रतिशत		...
122	"	योगा थेरापिस्ट	1	100 प्रतिशत		...
123	"	आथोटिक टेक्निशियन	1	100 प्रतिशत		...
124	"	आथोटिक टेक्निशियन	1	100 प्रतिशत		...
125	"	ओ. टी. टेक्निशियन (ड्रामा)	2	100 प्रतिशत		...
126	"	एयर कंडीशनर आपरेटर	1	100 प्रतिशत		...
127	"	ओवरसियर	3	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	...
128	"	सहायक लायब्रेरियन	1	100 प्रतिशत		...
129	"	रेडियो थेरेपी टेक्नालाजिस्ट	12	100 प्रतिशत		...
130	"	रिकार्ड टेक्निशियन	2	100 प्रतिशत		...
131	"	डिसीस कोडर	1	100 प्रतिशत		...
132	"	प्रोजेक्टनिष्ट कम मेकेनिक	1	100 प्रतिशत		...
133	"	लायब्रेरियन (ग्रंथपाल)	2		100 प्रतिशत	...
134	"	डेंटल टेक्नीशियन	2	100 प्रतिशत		...
135	"	असिस्टेंट लार्डब्रेरियन	1	100 प्रतिशत		...
136	"	डाक्युमेंटलिस्ट	2	100 प्रतिशत		...
137	"	केटलागर	3	100 प्रतिशत		...
138	"	असिस्टेंट लायब्रेरियन	2	100 प्रतिशत		...
139	"	इलेक्ट्रीशियन कम मेकेनिक	1	100 प्रतिशत		...
140	"	व्यावसायिक प्रशिक्षिका	1	100 प्रतिशत		...
141	"	लायब्रेरियन	1		100 प्रतिशत	...
142	"	ड्रायवर	1	100 प्रतिशत		...
143	"	सब स्टेशन अटेंडेंट	2	100 प्रतिशत		...

**अनुसूची-तीन**  
(नियम 8 (1) (क) देखिये)  
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता  
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अधीनस्थ संस्थाएं-अलिपिक वर्गीय संतर्ग  
संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ कार्यालय

स.क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव	अन्य बातें (अभ्युक्ति)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चिकित्सा शिक्षा विभाग	लेब असिस्टेंट	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण	चयन समिति 1. अधिष्ठाता एवं मुख्याकार्यपालन अधिकारी-अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम प्राध्यापक-सदस्य 3. वरिष्ठतम चिकित्सालय अधीक्षक-सदस्य 4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधि-सदस्य 5. प्रशासकीय अधिकारी-सदस्य सचिव
2	तदैव	टेक्नीकल असिस्टेंट	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण	-तदैव-
3	तदैव	डायलेसिस टेक्नीशियन	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 मान्यताप्राप्त संस्थान से डायलेसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा/प्रशिक्षण डिप्लोमा धारी को प्राथमिकता। पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन 3. 500 बिस्तर क शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।	



4	तद्व	लेब टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्थान से पेशालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी) /क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा /माईक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा।</p> <p>3. म. प्र. पैरामेडिकल कॉंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्व-
5	तद्व	साईटो टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्थान से पेशालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी) /क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा /माईक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा।</p> <p>3 500 बिस्तर क शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>4 मान्यताप्राप्त साईटोलॉजी लैबोरेटरी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।</p> <p>5 म. प्र. पैरामेडिकल कॉंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्व-
6	तद्व	बायोकेमिस्ट	18	35	<p>1 मेडिकल बायोकेमेस्ट्री रनातकोत्तर अथवा केमेस्ट्री/बायोकेमेस्ट्री में स्नातक के साथ डी.एम.एल.टी./क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री में डिप्लोमा एवं</p> <p>2 500 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी</p>	-तद्व-

					<p>चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>3. म. प्र. पैरामेडिकल कांसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	
7	तद्वैव	रेडियोग्राफर	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का सर्टीफिकेट/डिप्लोमा। डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता।</p> <p>3 500 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>4 म. प्र. पैरामेडिकल कांसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-
8	तद्वैव	सोनोग्राफी टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्था से सोनोग्राफी टेक्नीशियन का डिप्लोमा/सर्टीफिकेट। डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता।</p> <p>3. म. प्र. पैरामेडिकल कांसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-
9	तद्वैव	मोल्ड रूम टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का डिप्लोमा।</p> <p>3 म. प्र. पैरामेडिकल कांसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-

10	तदैव	गामा केमरा टेक्नीशियन	18	35	<p>1 विज्ञान में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से डी.एम.आर.आई.टी. / गामा केमरा टेक्नीशियन / रेडियोथेरापी टेक्नीशियन होना आवश्यक है।</p> <p>3 500 बिस्तर के शासकीय / स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव धारक को प्राथमिकता।</p> <p>4 ए.ई.आर.बी. का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तदैव-
11	तदैव	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से एक वर्ष का ई.सी.जी. टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र।</p> <p>3 500 बिस्तर के शासकीय / स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>4 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तदैव-
12	तदैव	कार्डियो- परफ्यूजनिस्ट	18	35	<p>1 बी.एस.सी. बायोलॉजी एवं पी. जी. डिप्लोमा (परफ्यूजन टेक्नालाजी)</p> <p>2 500 बिस्तर के शासकीय / स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तदैव-
13	तदैव	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली से परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से ई.ई.जी. टेक्नीशियन का दो वर्षीय डिप्लोमा।</p> <p>3 500 बिस्तर के</p>	-तदैव-

					शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता। 4. म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन।	
14	तद्वैव	ड्रेसर / ड्रेसर ग्रेड-1	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 तीन माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण	-तद्वैव-
15	तद्वैव	फार्मासिस्ट-श्रेणी-2 कम्पाउन्डर (पुराना नाम)	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा। 3 500 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता। 4 फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का पंजीयन	-तद्वैव-
16	तद्वैव	फार्मासिस्ट केमिस्ट	18	35	1 पी.एस.सी. फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री के साथ अथवा 2 डी.फार्मा में स्नातक फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री के साथ। 3 500 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।	-तद्वैव-
17	तद्वैव	फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन (तकनिशियन)	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2 मान्यताप्राप्त संस्था से फिजियोथेरापी डिग्री। 3 500 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।	-तद्वैव-

					<p>वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 हेल्थ एजुकेशन का डिप्लोमा प्रमाण पत्र।</p>	
22	तद्वैव	कारपेटर	18	35	<p>1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 आई.टी. आई. से कारपेन्टरी (बढ़ई) का प्रमाण पत्र।</p>	-तद्वैव-
23	तद्वैव	आर्थोटेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 डिप्लोमा ऑफ आर्थोटिक टेक्नीशियन अथवा आर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन का एक वर्ष पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र</p> <p>3 500 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>4 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-
24	तद्वैव	प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 प्रोस्थेटिक्स का डिप्लोमा अथवा प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स।</p> <p>3 500 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p>	-तद्वैव-
25	तद्वैव	शु-मेकर	18	35	<p>1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 लेदर कोर्स का डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र</p>	-तद्वैव-
26	तद्वैव	आक्यूपेशनल फिजिकल इन्सट्रक्टर	18	35	<p>1 मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे आक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री।</p> <p>2 500 बिस्तर के</p>	-तद्वैव-

					शासकीय / स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।	
27	तद्वैव	आकुपेशनल थेरापिस्ट	18	35	1 मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से आकुपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री। 2 500 बिस्तर के शासकीय / स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।	-तद्वैव-
28	तद्वैव	जूनियर फिजियोथेरापिस्ट	21	35	1 मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे फिजियोथेरापी में डिप्लोमा / डिग्री। 2 500 बिस्तर के शासकीय / स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।	-तद्वैव-
29	तद्वैव	मैसुअर	18	35	1 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 मैसुअर तथा मेशकुलो ट्रेड में डिप्लोमा अथवा बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। 3 500 बिस्तर के शासकीय / स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता। 4 म. प्र. पैरामेडिकल कांसिल का जीवित पंजीयन-आवश्यक	-तद्वैव-
30	तद्वैव	डेंटल हाईजनिस्ट	18	35	1 बायोर्लॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 मान्यताप्राप्त संस्था से डेंटल हाईजनिस्ट का प्रमाण पत्र। 3 म. प्र. पैरामेडिकल कांसिल का जीवित पंजीयन / म.प्र. डेंटल कांसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक	-तद्वैव-
31	तद्वैव	डेंटल मैकेनिक	18	35	1 बायोर्लॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण	-तद्वैव-

					<p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से डेंटल मेकेनिक का प्रमाण पत्र।</p> <p>3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन/म.प्र. डेंटल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	
32	तद्वैव	डेन्टिस्ट	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 डेन्टल हाईजिन अथवा मैडिसलो संबंधी डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट।</p> <p>3 म. प्र. डेंटल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-
33	तद्वैव	रिसेप्शनिस्ट	18	35	<p>1 मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ</p> <p>2 मान्यताप्राप्त पी.जी.डी. सी.ए. विश्वविद्यालय से</p> <p>3 हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान।</p>	-तद्वैव-
34	तद्वैव	सोशल वर्कर	18	35	<p>1 मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।</p> <p>2 मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि अथवा एम. एस. डब्लू की उपाधि को प्राथमिकता।</p>	-तद्वैव-
35	तद्वैव	मेडिको सोशल वर्कर	21	35	<p>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे समाज शास्त्र / सोशल वर्क में मेडिकल सोशल वर्क की उपाधि अथवा एम. एस. डब्लू डिप्लोमा</p>	-तद्वैव-
36	तद्वैव	साइको सोशल वर्कर	21	35	<p>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे मनोविज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि</p>	-तद्वैव-
37	तद्वैव	डायलेसिस सोशल वर्कर	18	35	<p>1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे समाज शास्त्र / सोशल वर्क में मेडिकल सोशल वर्क की उपाधि अथवा मास्टर आफ सोशल वर्कर उपाधि।</p> <p>2. 500 बिस्तर क या</p>	तद्वैव

					उससे अधिक के चिकित्सालय में कार्य के अनुभव को प्राथमिकता।	
38	तद्वैव	असिस्टेंट लायब्रेरियन	18	35	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लायब्रेरी साइंस में स्नातक अथवा 2 वर्ष का डिप्लोमा।	--तद्वैव--
39	तद्वैव	केटलागर	21	35	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लायब्रेरी साइंस में स्नातक अथवा डिप्लोमा	--तद्वैव--
40	तद्वैव	लिफ्ट मेन	18	35	1 10+2 से 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 आई.टी.आई. से वायरमेन ट्रेड का प्रमाण पत्र अथवा डोमेस्टिक वायरमेन का प्रमाण पत्र	--तद्वैव--
41	तद्वैव	मिस्त्री	18	35	मान्यताप्राप्त संस्थान से आई.टी.आई. से यांत्रिक व्यवसाय मैकेनिक ट्रेड का प्रमाण-पत्र	--तद्वैव--
42	तद्वैव	गैस मैकेनिक	18	35	मान्यताप्राप्त संस्थान से आई.टी.आई. से गैस मैकेनिक का प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा	--तद्वैव--
43	तद्वैव	वायर मेन	18	35	मान्यताप्राप्त संस्थान से आई.टी.आई. से वायरमेन ट्रेड का प्रमाण 1 पत्र/ डिप्लोमा	--तद्वैव--
44	तद्वैव	प्लम्बर	18	35	मान्यताप्राप्त संस्थान से आई.टी.आई. से प्लम्बर ट्रेड का प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा 2 मान्यताप्राप्त संस्था से 01 वर्ष का अनुभव।	--तद्वैव--
45	तद्वैव	प्रेस मेन	18	35	1 10+2 पद्धति में 12 वीं उत्तीर्ण 2 एक साल का लाण्ड्री में कार्य करने का अनुभव।	--तद्वैव--
46	तद्वैव	क्लीनर	18	35	हाई स्कूल अथवा 10+2 पद्धति में 10 वीं उत्तीर्ण।	--तद्वैव--
47	तद्वैव	दाहन चालक	18	35	1 हाई स्कूल अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति में 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 भारी (हेवी) वाहन चालक का अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस)	--तद्वैव--
48	तद्वैव	मोटर मैकेनिक	18	35	2 हाई स्कूल अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति में 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यताप्राप्त संस्थान से आई.टी.आई. से मोटर	--तद्वैव--



					मेकैनिक् का प्रमाण पत्र।	
49	तदैव	टेलीफोन ऑपरेटर	18	35	1 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2 मान्यताप्राप्त संस्था से टेलीकम्यूनिकेशन / टेलीफोन आपरेटर का डिप्लोमा	-तदैव-
50	तदैव	टेलीफोन अटेन्डेन्ट	18	35	2 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2 मान्यताप्राप्त संस्था से टेलीकम्यूनिकेशन / टेलीफोन आपरेटर का डिप्लोमा	-तदैव-
51	तदैव	इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर	18	35	2 विज्ञान विषयों में 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2 आई.टी.आई. से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रमाण पत्र	-तदैव-
52	तदैव	टर्नर	18	35	2 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2 आई.टी.आई. से टर्नर ट्रेड में डिप्लोमा / सार्टिफिकेट।	-तदैव-
53	तदैव	प्रोजेक्टनिस्ट	18	35	1 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2 पोलिटेक्निक से संबंधित विषय का डिप्लोमा अथवा आई.टी.आई. से चल चित्र प्रक्षेप (सिनेमा प्रोजेक्ट का प्रमाण पत्र।	-तदैव-
54	तदैव	इलेक्ट्रीशियन	18	35	1 विज्ञान विषयों में 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा (विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिये) 2 आई.टी.आई. से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रमाण पत्र 3 घरेलु तथा औद्योगिक बायर मेन विषय विद्युत दिभाग का अनुज्ञा पत्र।	-तदैव-
55	तदैव	सेनेटरी इंस्पेक्टर	18	35	1 जीव विज्ञान विषय में	-तदैव-

					<p>हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण / 10+2 पद्धति एवं 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. सेनेटरी इस्पेक्टर का डिप्लोमा / हेल्थ इस्पेक्टर का प्रमाण-पत्र</p> <p>3. म. प्र. पैरामेडिकल कोसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	
56	तद्वैव	पी.टी.आई.	18	35	मान्यताप्राप्त संस्था से फिजिकल एज्युकेशन में स्नातक।	-तद्वैव-
57	तद्वैव	लान्ट्री स्पेशलिस्ट	18	35	<p>1. 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्था से मेकेनिकल अथवा लान्ट्री में 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।</p>	-तद्वैव-
58	तद्वैव	बिल्डिंग केयरटेकर	18	35	<p>1. 10+2 पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. सेनेटरी इस्पेक्टर का डिप्लोमा / हेल्थ इस्पेक्टर का प्रमाण-पत्र।</p>	-तद्वैव-
59	तद्वैव	मान्तेसरी ट्रेन्ड टीचर	18	35	मान्यताप्राप्त संस्था से मनोविज्ञान में स्नातक एवं बी.एड / डी. एड उत्तीर्ण।	
60	तद्वैव	वोकेशनल एक्सपर्ट	18	35	फाईन आर्ट जे.जे. स्कूल अथवा मान्यताप्राप्त संस्था से स्नातक।	-तद्वैव-
61	तद्वैव	आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	18	35	<p>1. फाईन आर्ट एवं फोटोग्राफी में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे डिग्री / फोटोग्राफी का डिप्लोमा</p> <p>2. व्यवसायिक चित्रकारिता (फोटोग्राफी का एक वर्ष का अनुभव)</p>	-तद्वैव-
62	तद्वैव	फोटो आर्टिस्ट	21	35	<p>1. फोटोग्राफी में मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री / फोटोग्राफी का डिप्लोमा</p> <p>2. व्यवसायिक चित्रकारिता (फोटोग्राफी का एक वर्ष का अनुभव)</p>	-तद्वैव-
63	तद्वैव	ग्लास ब्लोयर	18	35	<p>1. विज्ञान विषय में स्नातक</p> <p>2. अनुभवी व्यक्ति को</p>	-तद्वैव-

					प्राथमिकता	
	तद्वैव	ओवरसियर	18	35	सिविल इंजीनियरिंग में पालीटेक्निक से डिप्लोमा	-तद्वैव-
65	तद्वैव	माडलर	18	35	1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 मान्यताप्राप्त संस्था से माडलर का डिप्लोमा।	-तद्वैव-
66	तद्वैव	थियेटर टेक्नीशियन	18	35	1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2 मान्यताप्राप्त संस्था से लेक्चर थियेटर /समाग्रह प्रशिक्षण उत्तीर्ण।	-तद्वैव-
67	तद्वैव	मेडिकल फोटोग्राफर	18	35	1 फोटोग्राफी में मान्यताप्राप्त विश्व. विद्यालय से डिग्री/फोटोग्राफी का डिप्लोमा 2 अवसायिक चित्रकारिता (फोटोग्राफी) का एक वर्ष का अनुभव।	-तद्वैव-
68	तद्वैव	उप ग्रंथपाल	18	35	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे लायब्रेरी साइंस में स्नातक अथवा डिप्लोमा।	-तद्वैव-
69	तद्वैव	डाक्यूमेंटलिस्ट	18	35	1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. शासन द्वारा मान्यताप्राप्त कम्प्यूटर अपरेटर का डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र।	-तद्वैव-
70	तद्वैव	कार्डियोथेरासिक टेक्नीशियन	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यताप्राप्त संस्था से बी.एस.सी. एवं पी. जी. डिप्लोमा. इन कार्डियोथेरासिक सर्जरी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र। 3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।	-तद्वैव-
71	तद्वैव	कैथ लेब टेक्नीशियन	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण	-तद्वैव-

					<p>2 डिप्लोमा इन कैथ लेब टेक्नीशियन।</p> <p>3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	
72	तद्वैव	नेत्र विज्ञान टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से नेत्र सहायक (पैरा आर्थलमिक असिस्टेंट का दो वर्षीय डिप्लोमा</p> <p>3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-
73	तद्वैव	पलमोनरी टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 पलमोनरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा।</p>	-तद्वैव-
74	तद्वैव	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से रेडियोथेरेपी के डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र /डी.एम.आई.आर.टी. सर्टिफिकेट।</p> <p>3. म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल/ए.ई.आर.बी. का जीवित पंजीयन आवश्यक।</p>	-तद्वैव-
75	तद्वैव	स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 स्पीचथेरेपी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र।</p> <p>3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-
76	तद्वैव	ओ. टी. टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2</p>	-तद्वैव-

					<p>प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से आपरेशन थियेटर का प्रमाण-पत्र।</p> <p>3 500 बिस्तर क शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>4 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	
77	तद्वैव	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा।</p> <p>3 500 बिस्तर क शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>4 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-
78	तद्वैव	इंडोस्कोपिक टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 इंडोस्कोपिक टेक्नीशियन अथवा समकक्ष डिप्लोमा।</p>	-तद्वैव-
79	तद्वैव	एक्स-रे टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ( डिप्लोमा धारी को प्राथमिकता )</p> <p>3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक</p>	-तद्वैव-
80	तद्वैव	प्लास्टर	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा</p>	-तद्वैव-

		टेक्नीशियन			फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 डिप्लोमा/ सार्टिफिकेट ऑफ आर्थाटिक टेक्नीशियन अथवा आर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन।	
81	तदैव	क्लीनिकल साईक्लाजिस्ट	18	35	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे मनोविज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं मान्यताप्राप्त चिकित्सालय में 01 वर्ष का अनुभव।	-तदैव-
82	तदैव	आर्टिस्ट कम म्यूजियम असिस्टेंट	18	35	1 ललित कला में जे. जे. कालेज ऑफ आर्ट अथवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित डिप्लोमा/स्नातक /फोटोग्राफी का डिप्लोमा। 2 प्रोफेशनल फोटोग्राफी में 01 वर्ष का अनुभव।	-तदैव-
83	तदैव	फिजिकल इंस्ट्रक्टर	18	35	1 मान्यताप्राप्त संस्था से फिजिकल एज्युकेशन में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक। 2 मान्यताप्राप्त संस्था से 02 वर्ष का अनुभव।	-तदैव-
84	तदैव	हेल्थ असिस्टेंट	18	35	1 जीव विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति से 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 सेनेटरी इस्पेक्टर का डिप्लोमा।	-तदैव-
85	तदैव	आक्यूपेशनल इंस्ट्रक्टर	18	35	1 मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे आक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री। 2 मान्यताप्राप्त संस्था से 02 वर्ष का अनुभव। 3 म.प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।	-तदैव-
86	तदैव	इलेक्ट्रीशियन	18	35	1 विज्ञान विषयों में 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा (विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिये)	-तदैव-

					<p>2 आई.टी.आई. से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रमाण पत्र</p> <p>3 धरेलु तथा औद्योगिक वायर मेन विषय विद्युत विभाग का अनुज्ञा पत्र।</p>	
87	तद्वैव	हेल्थ इन्स्पेक्टर	18	35	<p>1 जीव विज्ञान विषय 10+2 पद्धति एवं 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 हेल्थ इन्स्पेक्टर का प्रमाण पत्र।</p> <p>3 म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।</p>	-तद्वैव-
88	तद्वैव	टेक्नीकल असिस्टेंट	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण।</p>	-तद्वैव-
89	तद्वैव	बायोफिजिक्स	18	35	<p>1 विज्ञान में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से बायोफिजिक्स का डिप्लोमा / डिग्री।</p>	-तद्वैव-
90	तद्वैव	फिजिसिस्ट	18	35	<p>1. विज्ञान में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 मान्यताप्राप्त संस्था से फिजिसिस्ट का डिप्लोमा / गामा कैमरा टेक्नीशियन के लिये डी.एन.आर.आई.टी. होना आवश्यक है।</p> <p>3 म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन तथा ए.ई.आर. बी. का जीवित पंजीयन आवश्यक।</p>	-तद्वैव-
91	तद्वैव	फार्मा मेडिकल स्टाफ	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा।</p> <p>3 फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन</p>	-तद्वैव-
92	तद्वैव	फिजियोट्रिस्ट सह सोशल वर्कर	18	35	<p>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे</p>	-तद्वैव-

					आक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री।	
93	तदैव	वेन ड्राइवर	18	35	1 हाई स्कूल अथवा 10+2 शिक्षा पध्ति में 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 भारी (हेवी) वाहन चालक का अनुज्ञा पत्र (लाईसेंस)	-तदैव-
94	तदैव	फिजिकल डायरेक्टर	18	35	1 मान्यताप्राप्त संस्था से फिजिकल एज्युकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातक डिग्री 2 मान्यताप्राप्त संस्था से 02 वर्ष का अनुभव।	-तदैव-
95	तदैव	मेसन	18	35	1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण ; 2 मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड का व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। 3. मेसन कार्य का अनुभव	-तदैव-
96	तदैव	ए. सी. टेक्नीशियन	18	35	1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण । 2 मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड का व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र 3 ए. सी. टेक्नीशियन कार्य का अनुभव	-तदैव-
97	तदैव	असिस्टेंट परफ्युजनिष्ट	18	35	1. बी.एस.सी. एवं पी. जी. डिप्लोमा इन कार्डियोथारासिक टेक्निशियन 2 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है	-तदैव-
98	तदैव	फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यताप्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी टेक्निशियन का प्रशिक्षण। 3. म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है	-तदैव-
99	तदैव	लेब टेक्नीशियन	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा	-तदैव-



		(वायरालाजी)			<p>फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा /क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री का डिप्लोमा /माईक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा।</p> <p>3 वायरालाजी तकनीकी का ज्ञान</p> <p>4. म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है</p>	
100	तदैव	लेब असिस्टेंट (वायरालाजी)	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. वायरालाजी तकनीकी का ज्ञान</p>	-तदैव-
101	तदैव	वाहन मेकेनिक	18	35	<p>1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण ।</p> <p>2 आई. टी. आई ट्रेड में मोटर मेकेनिक का प्रमाण पत्र</p>	-तदैव-
102	तदैव	योगा थेरापिस्ट	18	35	<p>1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे बैचलर ऑफ योगा अथवा योग में समकक्ष योग्यता।</p> <p>2. म.प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।</p>	-तदैव-
103	तदैव	आर्थोटिक टेक्नीशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2 डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री एण्ड रिफ्रैक्शन ।</p> <p>3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक ।</p>	-तदैव-
104	तदैव	आर्थोटिक टेक्निशियन	18	35	<p>1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं</p>	-तदैव-

					परीक्षा उत्तीर्ण 2 सार्टिफिकेट इन आर्थेटिक टेक्नीशियन/ आर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन 3 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है	
105	तद्वैव	ओ. टी. टेक्निशियन (ड्रामा)	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 मान्यताप्राप्त संस्था से आपरेशन थियेटर का प्रमाण-पत्र। 3 500 बिस्तर क शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता। 4 म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है	-तद्वैव-
106	तद्वैव	एयर कंडीशनर आपरेटर	18	35	1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2 आई. टी. आई ट्रेड में ए. सी. टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र	-तद्वैव-
107	तद्वैव	रेडियो थेरेपी टेक्नालाजिस्ट	18	35	1 बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 मान्यताप्राप्त संस्था से रेडियोथेरेपी के डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र /ड.एम.आई.आर.टी. सार्टिफिकेट 3. म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल/ए.ई.आर.बी. का जीवित पंजीयन आवश्यक	-तद्वैव-
108	तद्वैव	रिकार्ड टेक्नीशियन	18	35	1 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2 मान्यताप्राप्त संस्था से पी. जी. डी. सी. ए. उत्तीर्ण	-तद्वैव-
109	तद्वैव	डिसीस कोडर	18	35	1. बायोलॉजी विषय से में 10 + 2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं उत्तीर्ण 2. हेल्थ इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट	-तद्वैव-

					3. पैरा मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन	
110	तदैव	प्रोजेक्टनिष्ठ कम मेकेनिक	18	35	1. 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ; 2. पोलिटेक्निक से संबंधित विषय का डिप्लोमा अथवा आई.टी. आई. से चल चित्र प्रक्षेप (सिनेमा प्रोजेक्ट का प्रमाण पत्र / व्यवसायिक सिनेमा में प्रक्षेपक (प्रोजेक्टर) संचालन का अनुभव।	-तदैव-
111	तदैव	व्यावसायिक प्रशिक्षिका	18	35	1. वोकेशनल विषय में 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण 2. डी. एड. उत्तीर्ण।	-तदैव-
112	तदैव	सब स्टेशन अटेंडेंट	18	35	1. 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । 2. आई. टी. आई. का वायरमेन का प्रमाण-पत्र / वायरमेन का डिप्लोमा ।	-तदैव-

अनुसूची - चार

(नियम 19 (1) देखिए)

पदोन्नति का तरीका, अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति चिकित्सा महाविद्यालय एवं अधीनस्थ संस्थाएं स्तर का अलिपिक वर्गीय संवर्ग संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ कार्यालय

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी ।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	बालम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चिकित्सा शिक्षा विभाग	लेब अटेंडेंट	लेब असिस्टेंट / टेक्नीकल असिस्टेंट	1. लेब अटेंडेंट का 5 वर्ष का अनुभव 2. बायोलाजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री विषय सहित हायर सेकेण्डरी 10 + 2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं उत्तीर्ण	1. अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी-अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम प्राध्यापक-सदस्य 3. वरिष्ठतम चिकित्सालय अधीक्षक-सदस्य
"	लेब असिस्टेंट / टेक्निकल असिस्टेंट	लेब टेक्नीशियन / सीनियर टेक्नीशियन	1. लेब असिस्टेंट का 5 वर्ष का अनुभव 2. डी. एम. एल. टी. / डी.सी.बी. / माइक्रोबायोलॉजी टैक्नी. उत्तीर्ण 3. म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक	4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधि-सदस्य 5. वरिष्ठतम प्रशासकीय अधिकारी-सदस्य
"	सीनियर टेक्नीशियन / लेब टेक्नीशियन	बायोकोमिस्ट	1. अनुगत 5 वर्ष	सचिव
"	बायोकोमिस्ट	टेक्निकल सुपरवाइजर	1. अनुभव 5 वर्ष	तदैव

"	डाकरूम अटेन्डेन्ट/एक्स-रे अटेन्डेन्ट	डाक रूम असिस्टेंट	1. अनुभव 5 वर्ष 2. बायोलाजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री विषय सहित हायर सेकेण्डरी अथवा उपरोक्त विषयों के साथ 10 + 2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं उत्तीर्ण	तदैव
"	डाकरूम असिस्टेंट	रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन / डाकरूम टेक्नीशियन	1. अनुभव 5 वर्ष 2. डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 3. म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक	तदैव
"	रेडियोग्राफर/ एक्स-रे टेक्नीशियन/ डाकरूम टेक्नीशियन	सीनियर रेडियोग्राफर	1. अनुभव 5 वर्ष	तदैव
"	ड्रेसर श्रेणी - ग्रेड 2	ड्रेसर/ ड्रेसर ग्रेड -- 1	1. अनुभव 5 वर्ष	तदैव
"	ड्रेसर/ड्रेसर ग्रेड- 1	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1. अनुभव 5 वर्ष 2. फार्मसी का डिप्लोमा 3. फार्मसी काउंसिल का जीवित प्रमाण-पत्र	तदैव
"	फार्मासिस्ट ग्रेड-2/कम्पाउन्डर (पुराना नाम)	फार्मासिस्ट ग्रेड-1 / स्टोर कीपर (चिकित्सालय औषधि भंडार )	1. अनुभव 5 वर्ष	तदैव

"	फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	सीनियर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	1. अनुभव 5 वर्ष	
"	ओ.टी. अटेन्डेन्ट	ओ.टी. असिस्टेंट	1. अनुभव 5 वर्ष 2. बायोलाजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री विषय सहित हायर सेकेण्डरी उपरोक्त विषयों के साथ 10 + 2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं उत्तीर्ण	तदैव
"	ओ. टी. असिस्टेंट	ओ. टी. टेक्नीशियन	1. अनुभव 5 वर्ष 2. ओ. टी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट 3. म. प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक है	तदैव
"	रिसेप्सनिष्ट	रिहेबीलिटेशन असिस्टेंट	1. अनुभव 5 वर्ष	तदैव
"	सहायक ग्रंथपाल /केटलागर	उप ग्रंथपाल	1. अनुभव 5 वर्ष	तदैव
"	उपग्रंथपाल	ग्रंथपाल / लायब्रेरियन	1. अनुभव 5 वर्ष	तदैव
"	कुक	हेड कुक	1. अनुभव 5 वर्ष	तदैव
"	क्लीनर	वाइन चालक	1. अनुभव 5 वर्ष 2. भारी (हेवी) वाहन चालक का अनुज्ञा पत्र (लाईसेंस)	तदैव
"	पंप अटेन्डेंट	पंप चालक	1. अनुभव 5 वर्ष 2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।	तदैव
"	सब ओवरसियर	ओवरसियर	अनुभव 5 वर्ष	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमारे, उपसचिव.

No. F-13-13/2013/1/55 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and service conditions in **Class III Non-Ministerial (Paramedical) cadre services** of the Directorate of Medical Education, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Directorate of Medical Education Class III Non-Ministerial (Paramedical Cadre) Recruitment and Service Conditions Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions .-** In these rules, unless the context otherwise requires,--

- (a) "Appointing Authority" means the Director of Medical Education;
- (b) "Committee" means the Departmental Promotion Committee comprising the members as specified in column (5) of Schedule IV;
- (c) "Examination" means the competitive examination conducted under rule 11 for recruitment in the service;
- (d) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26 th December, 1984 as amended from time to time;
- (e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (f) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of, or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (g) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (h) "Service" means Class III Non-Ministerial (Paramedical) cadre service of the Directorate of Medical Education;
- (i) "State" means the State of Madhya Pradesh.

**3. Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service as mentioned in Schedule I.

**4. Constitution of the service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-

- (1) The persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule I;
- (2) The persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) The persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

**5. Classification of Service, scale of pay etc.-** (1) The classification of the Service, the number of posts included in the service and scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

(2) Members of the service will be entitled to get time scale of pay scale as per Government of M.P. Finance Department circular No. F 11-1/2008/R-IV dated 24-01-08.

**6. Method of recruitment.-** (1) On the commencement of these rules, recruitment to the service, shall be made by one of the following methods, namely:-

- (a) By direct recruitment through competitive examination;
  - (b) By promotion of the members of the service as specified in column (2) of Schedule IV; and
  - (c) By transfer of Persons who holds posts in a substantive or in officiating capacity in such services as may be specified by the State Government in this behalf.
- (2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage as shown in Schedule II of the number of post as specified in Schedule I .

- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any vacancy or vacancies during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.
- (4) Notwithstanding, anything contained in sub rule-1, if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with the prior concurrence of General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub- rule as it may, by orders issued in this behalf, prescribed.

**7. Appointment to the Service.-** All appointments to the Service or post after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

**8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for selection by direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

**(1) Age :-**

- (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of examination.
- (b) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the following conditions, namely:-
- (i) a candidate who is a permanent or temporary employee should not be of more than 40 years of age and this concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the project implementation committee;

(ii) a candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of seven years, even if it represents more than one spell:

Provided that the resultant age shall not exceed the upper age limit by more than five years.

**Explanation .-** The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was retrenched due to reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service;

(iii) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

**Explanation -** The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service, namely:-

- (1) Ex-serviceman released under mastering out concession;
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on completion of short term engagements fulfilling the condition of enrollment;
- (3) Ex- personnel of Madhya Pradesh Civil unit;
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract, including short service regular commissioned officer;
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-serviceman invalidated out of service;



- (7) Ex-serviceman discharged on the ground that he is unlikely to become efficient soldier;
- (8) Ex-serviceman who is medically boarded out on account of gunshot, wounds etc;
- (d) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of destitute and divorcee woman candidate. This relaxation is additional with respect to other relaxations in age limit. The upper age limit shall be relaxable upto 10 years for female candidates as per sub clause (II) of M.P. Civil Services ( Mahilaon Ke Niyukti Ke Liye Vishesh Upbandh) Rules, 1997.
- (e) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of two years for those candidates who are holding green card under the family planning programme;
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage Incentive programme of the Scheduled Castes; Scheduled tribes and Other Backward Classes welfare department;
- (g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of Vikram Award holder candidates;
- (h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 40 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Board;
- (i) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officer of Home Guards for a period of service rendered by them subject to the limit of 3 years, but in no case their age should exceed 38 years;
- (j) Candidates, who are found eligible for selection under age concession mentioned in sub-clause (1) and (2) of clause (c) of sub-rule (1) of Rule 8, shall continue to be eligible if they are retrenched from service or post after submitting the application in no other case their age limit shall be relaxed;
- (k) The departmental candidates shall be required to obtain prior permission for selection from the appointing authority;
- (l) A candidate must have a good conduct and also physically and mentally fit;

(m) A candidate shall figure in the live register of an employment exchange prior to 90 days of the last date of submitting the application for direct recruitment as per State Government's Circular No. (F) 143/86/(4) two, dated 29.06.1987.

**(2) Educational qualification.-**

A candidate must possess the educational qualification prescribed for service in Schedule III:

Provided that,-

- (a) in exceptional cases, on the recommendation of the Appointing Authority, a candidate may be treated as qualified, who though not possess any of the qualification prescribed but has passed examination conducted by other institutions by such standard for which the Appointing Authority considers the candidate eligible to appear in the examination/selection; and
- (b) candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities being universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the selection test at the discretion of the appointing authority.

**(3) Fees.-**

The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

**9. Disqualification.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held disqualification by the Appointing Authority for appearing in the examination/selection.

- (2) A male candidate who has married before the prescribed age of 21 years and a female candidate who has married before prescribed age of 18 years shall not be eligible for the any post in the service.
- (3) A candidate shall not be eligible for appointment to the service who has convicted of an offence against women:

Provided that where such cases are pending against a candidate in a court, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

- (4) No candidate shall not be eligible for appointment to the service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26<sup>th</sup> January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who already has one living child and next delivery takes place on or after 26<sup>th</sup> January, 2001 in which two or more than two children born.

- (5) No male candidate who marries while one wife living and no female candidate who marries a man having already a wife living shall be eligible for appointment to the service or post.

**10. Decision of Appointing Authority shall be final about the eligibility of the candidates.-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination /selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be eligible to appear in the examination or selection.

**11. Direct recruitment by competitive examination.-** (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority determine from time to time.

- (2) The selection of candidates to the service by the selection committee shall be done through interview.
- (3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the order and instructions issued by the State Government from time to time.
- (4) There shall be 30 percent reservation for women candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (5) At the time of filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 15 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared suitable by the selection committee for appointment

to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes subject to sub-rule (3).

(7) There shall be 6% (2+2+2) reservation for hearing, visually and orthopedically impaired candidates in accordance with the direction of the General Administration Department.

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available, the appointing authority may relax such condition of experience to the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

**12. List of candidates recommended by selection committee.-** (1) The Selection Committee shall prepare and forward to the appointing authority a select list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard, as determined by the Selection Committee to the appointing authority, and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and such list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the select list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

**13. Probation.-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

**14. Appointment by promotion.-** (1) A Departmental Promotion Committee shall be constituted comprising members as mentioned in column (5) of Schedule IV for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the Departmental Promotion Committee under this sub-rule, the provision of section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 shall be followed.

- (2) The departmental promotion committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) The process for promotion to the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department, from time to time.

**15. Conditions of eligibility for promotion.-** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Departmental Promotion Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such qualifying number of years of service on the post from which promotion is to be made or any other post declared equivalent as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2), but officers/employees retired from emergency commission and short service commission after appointment in service, their services will be counted from date of appointment as per Circular No 2266 / 1987 / 1 (3) 67 of General Administration Department. Any junior candidate shall not be considered before his senior for promotion/higher grade merely on the basis of completion of prescribed period of service.

- (2) The provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 shall be applicable for consideration and reservation.

**16. Preparation of the list of suitable candidates.-** (1) The departmental promotion committee shall prepare a list of such persons who fulfill the conditions prescribed in rule 15 and are held suitable by the committee for promotion to the service, the list shall cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the period of one year from the date of preparation of the said select list, and a reserved list consisting of 25 percent of the number of the persons included in the said select list shall also be prepared to meet unforeseen vacancies accruing during the course of the aforesaid period.

- (2) For preparation of the select list for promotion from Class IV to class III posts and Class III to II posts, the criteria shall be seniority subject to fitness.
- (3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list.
- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year and if in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the Departmental Promotion Committee shall record its reason for the proposed supersession.

**17. Select list.-** (1) The select list as finally approved by the Appointing Authority shall form select list for promotion of the members of the service from the posts shown in column (2) of Schedule IV to the posts shown in column (3) of the said Schedule.

- (2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with rule 17, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority may, if deems fit, remove the name of such person from the select list.

**18. Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the names of such person appear in the select list.

- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Selection Committee before the appointment of a person whose name is included in the select list of the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

- 19. Interpretation .-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.
- 20. Relaxation .-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favorable to the person than that provided in these rules.

**21. Saving.-** Nothing in these rules shall affect the condition required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

**22. Repeal and Saving .-**

All rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. S. KUMRE, Dy. Secy.

Schedule 1

[See rule - 5]

Classification of Service, Pay Scales and Number of Posts in the Service  
Non-Ministerial Cadre of Medical Colleges and Subordinate Institutions Level  
Subordinate Offices of Directorate of Medical Education

S.No.	Name of Posts included in the service	Number of posts	Classification	Pay Scales Pay band + Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lab.Assistant	198	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900 (Pay scale before 1.4.2006 )
2.	Technical Assistant	8	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900

3.	Dialysis Tech.	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
4.	Lab. Technician	371	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 (Pay scale before 1.4.2006 )
5.	Cytotechnician	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
6.	Senior Technician	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
7.	Biochemist	13	Class III	PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
8.	Technical Supervisor	3	Class III	PB-2 Rs.9300-34800+GP Rs. 3600
9.	Dark Room Asstt.	14	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
10.	Radiographer	58	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100 (Pay scale before 1.4.2006 ).
11.	Sonography Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
12.	Mould Room Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
13.	Gamma Camera Tech.	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
14.	E.C.G.Tech.	16	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 ((Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 (Pay scale before 1.4.2006 )
15.	Senior Radiographer	21	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 ((Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 ((Pay scale before 1.4.2006 )
16.	Cardioperfusionist	2	Class III	PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
17.	E.E.G.Tech.	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
18.	Dresser/Dresser Gr.I	32	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
19.	Pharmacist Gr.II Compounder (Old Name)	150	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
20.	Store-keeper (For Hospital)	79	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400



21.	Pharmacist Gr.I	10	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
22.	Pharmacist Chemist	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
23.	Physiotherapist Tech.	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
24.	O.T.Assistant	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
25.	Ophthalmology Tech.	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
26.	Contact Lens Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400.
27.	Rehabilitation Asstt.	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
28.	Optometrist	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
29.	Health Educator	8	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
30.	Carpenter	13	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006) PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1800 (Pay scale before 1.4.2006 )
31.	Orthotechnician	7	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100 (Pay scale before 1.4.2006 )
32.	Prosthetic Tech.	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
33.	Shoe Maker	6	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
34.	Occupational Physical Instructor	1	Class III	PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
35.	Occupational Therapist	11	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
36.	Junior Physiotherapist	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
37.	Mesuar	4	Class III	PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
38.	Dental Hygenist	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
39.	Dental Mechanic	10	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
40.	Dentist	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
41.	Receptionist	13	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
42.	Social Worker	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs.2100
43.	Medico Social Worker	32	Class III	PB-1 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006, PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale before 1.4.2006 )
44.	Dialysis Social Worker	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale before 1.4.2006 )
45.	Psycho Social Worker	4	Class III	PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
46.	Assistant Librarian	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
47.	Catalagour	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
48.	Librarian	7	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800. (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3600 (Pay scale before 1.4.2006 )
49.	Liftman	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
50.	Mistry	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900.
51.	Gas Mechanic	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
52.	Wireman	7	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
53.	Plumber	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
54.	Pressman	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
55.	Cleaner	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
56.	Driver	51	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900

57.	Motor Mechanic	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
58.	Telephone Operator	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
59.	Telephone Attendant	6	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
60.	Electric Supervisor	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900 (Pay scale before 1.4.2006 )
61.	Turner	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
62.	Projectionist	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
a.	Headcook	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
63.	Electrician	7	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 (Pay scale before 1.4.2006 )
64.	Sanitary Inspector	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
65.	P.T.I.	2	Class III	PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs.3200 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100 (Pay scale before 1.4.2006 )
66.	Laundry Specialist	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
67.	Building Care Taker	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
68.	Montesory Trained Teacher	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
69.	Vocational Expert	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
70.	Artist cum Photographer	6	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale before 1.4.2006 )
71.	Photo Artist	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 (Pay scale before 1.4.2006 )
72.	Glass Blower	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
73.	Sub Oversear	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
74.	Modeler	6	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
75.	Theatre Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 (Pay scale before 1.4.2006 )
76.	Medical Photographer	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3600 (Pay scale before 1.4.2006 )
77.	Deputy Librarian	10	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
78.	Documentlist	11	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
79.	Building Care Taker	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1800
80.	Building Care Taker	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
81.	Cardiothoracic Technician	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
82.	Cath.Lab.Tech.	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
83.	Ophthalmic Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
84.	Pulmonary Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
85.	Radiotherapy Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400

86.	Speech Therapy Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
87.	O.T.Technician	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
88.	Senior Physiotherapy Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
89.	Anesthesia Tech.	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
90.	Endoscopic Tech.	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
91.	X-ray Tech.	8	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 (Pay scale before 1.4.2006 )
92.	Plaster Tech.	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
93.	Clinical Psychologist	2	Class III	PB-1 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
94.	Artist cum Musuem Assistant	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
95.	Physical Instructor	1	Class III	PB-2 Rs.9300-34800+GP Rs.3200 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100  (Pay scale before 1.4.2006 )
96.	Health Assistant	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
97.	Occupational Instructor	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
98.	Electrician	4	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
99.	Pump Operator	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
100.	Health Inspector	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
101.	Technical Asstt.	8	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
102.	Biophysics	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
103.	Physicist	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
104.	Pharma Medical Staff	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
105.	Physiotrist cum social worker	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
106.	Library Asstt.	5	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
107.	Van Driver	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
108.	Physical Director	1	Class III	PB-1 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
109.	Mason	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
110.	A.C.Technician	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
111.	O.T.Technician	14	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
112.	Radiotherapy Tech.	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
113.	Deputy Librarian	10	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
114.	Asstt.Perfusionist	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
115.	Physiotherapy Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
116.	Lab.Tech. (Virology)	12	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
117.	Lab.Asstt. (Virology)	8	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
118.	Dental Mechanic	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400 (Pay scale before 1.4.2006 )
119.	Museum cum artist	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
120.	Vehicle Mechanic	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
121.	P.T.I.	1	Class III	PB-2 Rs.9300-34800+GP Rs.3200 (Pay scale effective w.e.f. 1.4.2006 PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100

				(Pay scale before 1.4.2006 )
122	Yoga Therapist	1	Class III	PB-1 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
123	Ophthotic Tech	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
124	Orthotic Tech.	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
125	O.T.Tech.(Trauma)	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
126	Air Conditioner Operator	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
127	Oversear	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
128	Asstt.Librarian	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
129	Radiotherapist Technologist	12	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
130	Record Tech.	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
131	Disease Coder	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
132	Projectnist cum Mechanic	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
133	Librarian	2	Class III	PB-1 Rs. 9300-34800+GP Rs. 3200
134	Dental Tech.	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
135	Asstt.Librarian	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
136	Documentalist	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
137	Cataloguer	3	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
138	Asstt.Librarian	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900
139	Electrician Cum Mechanic	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400
140	Professional Trainer	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
141	Librarian	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800
142	Driver	1	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2100
143	Sub Station Attendant	2	Class III	PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900

(\*) As per order of Govt. of of M.P. G.A.D. No. F--2-06/1/ve.aa.pra/ dt.  
5/17 Oct. 2006 pay scale has been revised w.e.f. 1/4/2006.

## Schedule - 2

[See rule - 6 (2)]

## Method of Recruitment

## Medical Colleges and Subordinate Institutions-Non- Ministerial Cadre

## Subordinate Offices of Directorate of Medical Education

S.No.	Name of the Department	Name of Service	Number of Posts	Percentage of Posts to be filled		
				Direct Recruitment	By Promotion from members of service	By temporary transfer of members of other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Medical Education Dept.	Lab.Assistant	198	50 %	50%	---
2	"	Technical Assistant	8	50 %	50%	---
3	"	Dialysis Tech.	4	100 %	-	---
4	"	Lab.Technician	371	50 %	50%	---
5	"	Cytotechnician	4	100 %	-	---
6	"	Senior Technician	1	-	100 %	---
7	"	Biochemist	13	50 %	50%	---
8	"	Technical Supervisor	3	-	100 %	---
9	"	Dark Room Asstt.	14	-	100 %	---
10	"	Radiographer	58	80 %	20 %	---
11	"	Sonography Tech.	1	100 %	-	---
12	"	Mould Room Tech.	1	100 %	-	---
13	"	Gamma Camera Tech.	2	100 %	-	---
14	"	E.C.G.Tech.	16	100 %	-	---
15	"	Senior Radiographer	21	-	100 %	---
16	"	Cardioperfusionist	2	100 %	-	---
17	"	E.E.G.Tech.	2	100 %	-	---
18	"	Dresser/Dresser Gr.I	32	20 %	80 %	---
19	"	Pharmacist Gr.II Compounder (Old Name)	150	80 %	20%	---
20	"	Store-keeper (For	79	-	100 %	---

		Hospital)				
21	"	Pharmacist Gr.I	10	-	100 %	---
22	"	Pharmacist Chemist	2	100 %	-	---
23	"	Physiotherapist Tech.	3	100 %	-	---
24	"	O.T.Assistant	5	-	100 %	---
25	"	Ophthalmology Tech.	2	100 %	-	---
26	"	Contact Lens Tech.	1	100 %	-	---
27	"	Rehabilitation Asstt.	5	-	100 %	---
28	"	Optometrist	5	100 %	-	---
29	"	Health Educator	8	100 %	-	---
30	"	Carpenter	13	100 %	-	---
31	"	Orthotechnician	7	100 %	-	---
32	"	Prosthetic Tech.	5	100 %	-	---
33	"	Shoe Maker	6	100 %	-	---
34	"	Occupational Physical Instructor	1	100 %	-	---
35	"	Occupational Therapist	11	100 %	-	---
36	"	Junior Physiotherapist	1	100 %	-	---
37	"	Mesuar	4	100 %	-	---
38	"	Dental Hygienist	5	100 %	-	---
39	"	Dental Mechanic	10	100 %	-	---
40	"	Dentist	1	100 %	-	---
41	"	Receptionist	13	100 %	-	---
42	"	Social Worker	4	100 %	-	---
43	"	Medico Social Worker	32	100 %	-	---
44	"	Dialysis Social Worker	3	100%	-	---
44	"	Psycho Social Worker	4	100 %	-	---
45	"	Assistant Librarian	4	100 %	-	---
46	"	Catalaguer	4	100 %	-	---
47	"	Librarian	7	-	100 %	---
48	"	Liftman	5	100 %	-	---
49	"	Mistry	4	100 %	-	---
50	"	Gas Mechanic	1	100 %	-	---
51	"	Wireman	7	100 %	-	---
52	"	Plumber	2	100 %	-	---
53	"	Pressman	1	100 %	-	---
54	"	Cleaner	3	100 %	-	---
55	"	Driver	51	80 %	20 %	---
56	"	Motor Mechanic	1	100 %	-	---
57	"	Telephone Operator	5	100 %	-	---
58	"	Telephone Attendant	6	100 %	-	---
59	"	Electric Supervisor	1	100 %	-	---

60	"	Turner	1	100 %	-	---
61	"	Projectionist	2	100 %	-	---
62	"	Headcook	3	-	100 %	---
63	"	Electrician	7	100 %	-	---
64	"	Sanitary Inspector	1	100 %	-	---
65	"	P.T.I.	2	100 %	-	---
66	"	Laundry Specialist	1	100 %	-	---
67	"	Building Care Taker	4	100 %	-	---
68	"	Montessory Traind Teacher	1	100 %	-	---
69	"	Vocational Expert	1	100 %	-	---
70	"	Artist cum Photographer	6	100 %	-	---
71	"	Photo Artist	4	100 %	-	---
72	"	Glass Blower	4	100 %	-	---
73	"	Sub Oversear	1	100 %	-	---
74	"	Modeler	6	100 %	-	---
75	"	Theatre Tech.	1	100 %	-	---
76	"	Medical Photographer	4	100 %	-	---
77	"	Deputy Librarian	10	50 %	50%	---
78	"	Documentlist	11	100 %	-	---
79	"	Building Care Taker	1	100 %	-	---
80	"	Building Care Taker	1	100 %	-	---
81	"	Cardiothoracic Technician	5	100 %	-	---
82	"	Cath.Lab. Tech.	4	100 %	-	---
83	"	Ophthalmic Tech.	1	100 %	-	---
84	"	Pulmonary Tech.	1	100 %	-	---
85	"	Radiotherapy Tech.	1	100 %	-	---
86	"	Speech Therapy Tech.	1	100 %	-	---
87	"	O.T.Tech.	2	50 %	50%	---
88	"	Senior Physiotherapy Tech.	1	-	100 %	---
89	"	Anesthesia Tech.	4	100 %	-	---
90	"	Endoscopic Tech.	2	100 %	-	---
91	"	X-ray Tech.	8	80%	20%	---
92	"	Plaster Tech.	2	100 %	-	---
93	"	Clinical Psychologist	2	100 %	-	---
94	"	Artist cum Museum Asstt.	1	100 %	-	---
95	"	Physical Instructor	1	100 %	-	---
96	"	Health Assistant	2	100 %	-	---

97	"	Occupational Instructor	5	100 %	-	---
98	"	Electrician	4	100 %	-	---
99	"	Pump Operator	1	-	100 %	---
100	"	Health Inspector	2	100 %	-	---
101	"	Technical Asstt.	8	50 %	50 %	---
102	"	Biophysics	3	100 %	-	---
103	"	Physicist	1	100 %	-	---
104	"	Pharma Medical Staff	2	100 %	-	---
105	"	Physiotrist cum social worker	3	100 %	-	---
106	"	Library Asstt.	5	100 %	-	---
107	"	Van Driver	1	100 %	-	---
108	"	Physical Director	1	100 %	-	---
109	"	Mason	1	100 %	-	---
110	"	A.C.Technician	1	100 %	-	---
111	"	O.T.Technician	14	50 %	50%	---
112	"	Radiotherapy Tech.	3	100 %	-	---
113	"	Deputy Librarian	10	50 %	50%	---
114	"	Asstt.Perfusionist	3	100 %	-	---
115	"	Physiotherapy Tech.	1	100 %	-	---
116	"	Lab.Tech. (Virology)	12	100 %	-	---
117	"	Lab.Asstt. (Virology)	8	100 %	-	---
118	"	Dental Mechanic	1	100 %	-	---
119	"	Museum cum artist	1	100 %	-	---
120	"	Vehicle Mechanic	1	100 %	-	---
121	"	P.T.I.	1	100 %	-	---
122	"	Yoga Therapist	1	100 %	-	---
123	"	Ophthotic Tech	1	100 %	-	---
124	"	Orthotic Tech.	1	100 %	-	---
125	"	O.T.Tech.(Trauma)	2	100 %	-	---
126	"	Air Conditioner Operator	1	100 %	-	---
127	"	Oversear	3	50 %	50%	---
128	"	Asstt.Librarian	1	100 %	-	---
129	"	Radiotherapist Technologist	12	100 %	-	---
130	"	Record Tech.	2	100 %	-	---
131	"	Disease Coder	1	100 %	-	---
132	"	Projectionist cum	1	100 %	-	---



		Mechanic				
133	"	Librarian	2	-	100 %	---
134	"	Dental Tech.	2	100 %	-	---
135	"	Asstt.Librarian	1	100 %	-	---
136	"	Documentlist	2	100 %	-	---
137	"	Cataloguer	3	100 %	-	---
138	"	Asstt.Librarian	2	100 %	-	---
139	"	Electrician Cum Mechanic	1	100 %	-	---
140	"	Professional Trainer	1	100 %	-	---
141	"	Librarian	1	-	100 %	---
142	"	Driver	1	100 %	-	---
143	"	Sub Station Attendant	2	100 %	-	---

**Schedule - 3**

[See rule - 8 (1) (a)]

**Age and Qualification of Person to be Directly Recruited**

**Medical Colleges and Subordinate Institutions-Non- Ministerial Cadre**

**Subordinate Offices of Directorate of Medical Education**

S.No.	Name of the Department	Name of the Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification and Experience	Remarks
1	Deptt. of Medical Education	Lab Assistant	18	35	Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics	Selection Committee Dean & Executive Officer— Chairman Senior most professor— Member Senior most Hospital Supintendent— Member Representitive of S.C.-S.T.— Member Administrative Officer— Member
2	--do--	Technical Assistant	18	35	Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics	--do--
3	--do--	Dialysis Technician	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Diploma/Training of dialysis technician from recognized institution and valid registration from M.P. Paramedical Council 3. priority will be given to those having I year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more	--do--

4	--do--	Lab. Technician	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma in Pathology Technician (DMLT) / Clinical Bio-chemistry/ Microbiology from recognized institution.</p> <p>3. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
5	--do--	Cyto technician	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma in Pathology Technician (DMLT) / Clinical Bio-chemistry/ Microbiology from recognized institution.</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>4. One year training certificate from recognized cytology laboratory.</p> <p>5. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
6	--do--	Bio-Chemist	18	35	M.Sc. Medical bio-chemistry or I.B.Sc. with chemistry / bio-chemistry and DMLT/ Diploma in clinical bio-chemistry and Valid registration from M.P. Paramedical Council.	--do--
7	--do--	Radiographer	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma/ Certificate in Radiographer Technician. Preference will be given to diploma holder.</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in</p>	--do--

					Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more 4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.	
8	--do--	Sonography Tech.	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Diploma/ Certificate in Sonography Technician. Preference will be given to diploma holder. 3. Valid registration from M.P. Paramedical Council.	--do--
9	--do--	Mold Room Tech.	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Diploma in Radiographer Technician . 3. Valid registration from M.P. Paramedical Council.	--do--
10	--do--	Gamma camera Tech.	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Science 2. D.M.R.I.T. /Gamma Camera technician/Radiotherapy technician from recognized institution. 3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more 4. Valid registration from A.E.R.B.	--do--
11	--do--	E.C.G. Tech.	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Certificate in E.C.G. Technician . 3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more 4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.	--do--

12	--do--	Cardio perfusionist	18	35	<p>1. B.Sc. (Biology) and P.G. diploma (perfusion technology)</p> <p>2. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>2. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
13	--do--	E.E.G. Tech.	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Two years diploma in E.E.G. Technician from recognized institution.</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
14	--do--	Dresser / Dresser grade-1	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Dresser Training of 3 months.</p>	--do--
15	--do--	Pharmacist Grade-II Compounder (old name)	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Pharmacist diploma.</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>3. Valid Registration in pharmacy council.</p>	--do--

16	--do--	Pharmacist Chemist	18	35	<p>1. B.sc Degree in Pharmaceutical Chemistry/B. Pharma with Pharmaceutical Chemistry.</p> <p>2. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p>	--do--
17	--do--	Physiotherapist Technician	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Degree in Physiotherapy technician from recognized institution.</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
18	--do--	Ophthalmology Technician	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma in ophthalmic Assistant from recognized institution.</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
19	--do --	Contact lens Technician	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma in Optometric Contact lens Technician/Diploma in Optometry refraction from recognized institution.</p>	--do--

					<p>3. priority will be given to those having 1year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	
20	--do--	Optometrist	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma in Optometry refraction</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>3. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
21	--do--	Health Educator	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed</p> <p>2. Certificate of Health Educator.</p>	--do--
22	--do--	Carpenter	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed .</p> <p>2. Certificate of I.T.I. in carpentry.</p>	--do--
23	--do--	Ortho Technician	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma/ Certificate in Orthopedics Technician.</p> <p>3. priority will be given to those having 1year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--

24	--do--	Prosthetic Technician	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Certificate/Diploma in Prosthetic Technician.</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
25	--do--	Shoe-maker	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed</p> <p>2. Certificate / Diploma in leather course from recognized institution.</p>	--do--
26	--do--	Occupational Physical Instructor	18	35	<p>1. Degree in occupational therapist from recognized university.</p> <p>2. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p>	--do--
27	--do--	Occupational Therapist	18	35	<p>1. Degree in occupational therapist from recognized university.</p> <p>2. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p>	--do--
28	--do--	Junior Physiotherapist	18	35	<p>1. Degree/Diploma in Physiotherapy form recognized university.</p> <p>2. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p>	--do--
29	--do--	Masuar	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed</p>	--do--

					<p>2. Diploma in Masuar and muscule trade /Degree in physiotherapy.</p> <p>3. priority will be given to those having 1year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more</p> <p>4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</p>	
30	--do--	Dental Hygienist	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Training course in dental hygienist from recognized institution.</p> <p>3. Valid registration from Dental Council/Paramedical Council.</p>	--do--
31	--do--	Dental Mechanic	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Training course in dental Mechanic from recognized institution.</p> <p>3. Valid registration from Dental Council/Paramedical Council.</p>	--do--
32	--do--	Dentist	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma/Certificate in dental hygiene or Diploma / Certificate in maxilla.</p> <p>3. Valid registration from Dental Council.</p>	--do--
33	--do--	Receptionist	18	35	<p>1. Graduate from recognized university</p> <p>2. PGDCA from recognized university</p> <p>3. Knowledge of Hindi/English typing.</p>	--do--



34	--do--	Social worker	18	35	1. Degree in recognized university 2. Graduate Degree in medical social worker/M.S.W. diploma. 3. Priority will be given to M.S.W.	--do--
35	--do--	Medico social worker	18	35	Degree in Sociology/Medical Social worker or Diploma in M.S.W. recognized university.	--do--
36	--do--	Psycho Social Worker	18	35	Post Graduate Degree in psychology in second division recognized university.	--do--
37	--do--	Dialysis social worker	18	35	1. Degree in Sociology from recognized university/ M.S.W from recognized university. 2- priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more	--do--
38	--do--	Assistant Librarian	18	35	Degree in library science or two years diploma from recognized university.	
39	--do--	Cataloger	18	35	Degree in library science or two years diploma from recognized university.	--do--
40	--do--	Liftman	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. Certificate wireman trade. Or domestic wireman from I.T.I.	--do--
41	--do--	Mistry	18	35	Certificate in mechanical/mechanic trade from I.T.I.	--do--
42	--do--	Gas Mechanic	18	35	Certificate/Diploma in Gas mechanic from I.T.I.	--do--
43	--do--	Wireman	18	35	Certificate / Diploma in wireman trade from recognized I.T.I.	--do--
44	--do--	Plumber	18	35	1. Certificate / Diploma in plumber trade from recognized I.T.I. 2. 1 year experience in recognized institution.	--do--

45	--do--	Press man	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. One Year experience laundry work.	--do--
46	--do--	Cleaner	18	35	1. High School or 10 <sup>th</sup> class passed by 10+2 pattern	--do--
47	--do--	Driver	18	35	1. High School or 10 <sup>th</sup> class passed by 10+2 pattern 2. Heavy vehicle license	--do--
48	--do--	Motor Mechanic	18	35	1. High School or 10 <sup>th</sup> class passed by 10+2 pattern 2. Certificate in motor mechanic from I.T.I.	--do--
49	--do--	Telephone operator	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. Diploma in telecommunication / Telephone operator from recognized institution.	--do--
50	--do--	Telephone Attendant	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. Diploma in telecommunication / Telephone operator from recognized institution.	--do--
51	--do--	Electric supervisor	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed in science. 2. Certificate in electrician trade from I.T.I.	--do--
52	--do--	Turner	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. Certificate/Diploma in turner trade from I.T.I.	--do--
53	--do--	Projectionist	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. Diploma from Polytechnic/Certificate from I.T.I. in Cinema Projection.	--do--

54	--do--	Electrician	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed in science. 2. Certificate in electrician trade from I.T.I. 3. Domenstic and professional wireman licence from electricity department.	--do--
55	--do--	Sanitary Inspector	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Diploma in sanitary inspector/ certificate of health inspector. 3. Valid registration from M.P. Paramedical Council.	--do--
56	--do--	P.T.I.	18	35	Bachelor Degree in Physical Education from recognition institution.	--do--
57	--do--	Laundry specialist	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed. 2. Certificate in mechanical/laundry from recognizes institution. 3. 1 Year experience recognizes institution.	--do--
58	--do--	Building care taker	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed. 2. Diploma in sanitary inspector/ certificate of health inspector.	--do--
59	--do--	Montessori trained teacher	18	35	Degree in psychology from recognized institution and B.Ed/D.Ed.	--do--
60	--do--	Vocational Expert	18	35	Degree in Fine art from J.J. School or other recognized institution.	--do--
61	--do--	Artist cum Photographer	18	35	1. Degree in Fine Art and Photography / Diploma in Photography from recognize university. 2. One year experience in professional photography.	--do--

62	--do--	Photo Artist	18	35	1. Degree /Diploma in photography from recognized university. 2. One year experience in professional photography.	--do--
63	--do--	Glass Blower	18	35	1. Degree in science. 2. priority will be given to Experience in glass blowing.	--do--
64	--do--	Overseer	18	35	Diploma in civil engineering from polytechnic.	--do--
65	--do--	Modeler	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed. 2. Diploma in Modeler from recognized institution.	--do--
66	--do--	Theatre Technician	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed. 2. Lecture theatre/ Auditorium work trained.	--do--
67	--do--	Medical Photographer	18	35	1. Degree / Diploma in photography from recognized university. 2. One year experience professional photography.	--do--
68	--do--	Deputy Librarian	18	35	1. Degree / Diploma in Library Science from recognized university.	--do--
69	--do--	Document list	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Diploma /Certificate in Computer Operator.	--do--
70	--do--	Cardiothoracic Technician .	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. B.Sc. and P.G. Diploma in Cardiothoracic Surgery Technician. 3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	--do--

71	--do--	Cath lab Technician	18	35	<p>1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. B.Sc. and P.G. Diploma in cath lab Technician.</p> <p>3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
72	--do--	Ophthalmology Technician	18	35	<p>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. 2 year in Diploma Para ophthalmic assistant.</p> <p>3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
73	--do--	Pulmonary Technician	18	35	<p>1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma in Pulmonary Technician.</p>	--do--
74	--do--	Radiotherapy Technician	18	35	<p>1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Diploma/ Certificate in Radiotherapy/DMIRT certificate.</p> <p>3. Valid registration in M.P. Paramedical Council/A.E.R.B.</p>	--do--
75	--do--	Speech therapy Technician	18	35	<p>1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Certificate in speech therapy technician.</p> <p>3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.</p>	--do--
76	--do--	O.T. Technician	18	35	<p>1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</p> <p>2. Certificate in O.T. Technician.</p> <p>3. priority will be given to those having 1 year Experience of</p>	--do--

					working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more 4. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	
77	--do--	Anaesthesia Technician	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2.Certificate in Anaesthesia Tech. 3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more 4. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	--do--
78	--do--	Endoscopic Technician	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Diploma in Endoscopy Tech. or equivalent diploma.	--do--
79	--do--	X-ray Technician	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Certificate/ Diploma in Radiographer Tech. Preference to Diploma holder. 3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	--do--
80	--do--	Plaster Technician	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2.Diploma/Certificate in Orthotic Technician./ orthopedic technician. 3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	--do--
81	--do--	Clinical psychologist	18	35	1. Post Graduate degree in psychology in second division from recognizes university. 2. 1 year experience in recognize hospital	--do--

82	--do--	Artist-cum Museum Assistant	18	35	1. Diploma/Degree in fine art from J.J. College of Art or other similar recognized qualification 2. One year experience in professional photography.	--do--
83	--do--	Physical Instructor	18	35	1. Degree/Post graduate degree in physical education. 2. 2 year experience in recognize institution	--do--
84	--do--	Health Assistant	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Diploma in sanitary Inspector.	--do--
85	--do--	Occupational Instructor	18	35	1. Degree in occupational-therapist. 2. 2 year experience in recognized university. 3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	--do--
86	--do--	Electrician	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Certificate from ITI in electrician trade. 3. Certificate of domestic and commercial and experience from electricity board	--do--
87	--do--	Health Inspector	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Diploma in sanitary Inspector. 3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	--do--
88	--do--	Technical Assistant	18	35	Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics	--do--
89	--do--	Bio-Physics	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Science. 2. Diploma / Degree in bio-physics.	--do--

90	--do--	Physicist	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Science. 2. Physicist diploma from recognized institution. 3. For Gama camera D.M.R.I.T. and registration from A.E.R.B. and M.P. Paramedical Council.	--do--
91	--do--	Pharma medical staff	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Pharmacist diploma. 3. Valid registration in Pharmacy Council.	--do--
92	--do--	Physiatrist cum social worker	18	35	Degree in Occupational Therapist	--do--
93	--do--	Library Assistant.	18	35	Degree / Diploma in library science.	--do--
94	--do--	Van driver	18	35	1. High school or 10 <sup>th</sup> class pass with 10+2 pattern. 2. Heavy motor vehicle license.	--do--
95	--do--	Physical director	18	35	1. Post Graduate degree / degree in physical education. 2. 2 Year experience in recognize institution	--do--
96	--do--	Mason	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. Professional experience of concern trade/ certificate from recognized institution. 3. Experience in Mason work.	--do--
97	--do--	A.C. Technician	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed 2. Professional experience of concern trade & certificate from recognized institution. 3. experience of in A.C. work.	--do--
98	--do--	Assistant perfusionist	18	35	1. B.Sc and P.G. diploma in cardiothoracic technician 2. Valid registration in M.P. Paramedical Council	--do--



99	--do--	Physiotherapy Technician	18	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</li> <li>2. Training in Physiotherapy technician from recognized institution.</li> <li>3. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</li> </ol>	--do--
100	--do--	Lab. Technician (virology)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</li> <li>2. Diploma in Pathology Technician (DMLT) / Clinical Bio-chemistry/ Microbiology from recognized institution.</li> <li>3. Knowledge of virology technique.</li> <li>4. Valid registration from M.P. Paramedical Council.</li> </ol>	--do--
101	--do--	Lab Assistant (Virology)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</li> <li>2. Knowledge of virology technique.</li> </ol>	--do--
102	--do--	Vehicle Mechanic	18	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed</li> <li>2. Certificate from motor mechanic from I.T.I.</li> </ol>	--do--
103	--do--	Yoga Therapist	18	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yoga degree from recognized University/equivalent degree</li> <li>2. Valid registration of M.P. Paramedical Council.</li> </ol>	--do--
104	--do--	Ophthotic Technician	18	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</li> <li>2. Diploma in optometry and refraction.</li> <li>3. Valid registration from M.P. Para Medical Council.</li> </ol>	--do--
105	--do--	Orthotic Technician	18	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12<sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics</li> </ol>	--do--

					2. Certificate/Diploma in orthotic technician /orthopedics technician. 3. Valid registration from paramedical council.	
106	--do--	O.T. Technician (Trauma)	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Certificate in O.T. Technician. 3. priority will be given to those having 1 year Experience of working in Govt./Autonomous hospital having 500 beds or more 4. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	--do--
107	--do--	Air conditioner Operator	18	35.	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. A.C. Technician certificate.	--do--
108	--do--	Radiotherapy Technologist	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed 2. Diploma/Certificate from recognized institution 3. DMRIT Certificate. 4. Registration in M.P. Paramedical Council/AERB alive Certificate	
109	--do--	Record technician	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed 2. P.G.D.C.A. from recognized institution.	--do--
110	--do--	Disease coder	18	35	1.Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics 2. Certificate in Health inspector. 3. Valid registration in M.P. Paramedical Council.	--do--
111	--do--	Projectnist Cum Mechanic	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed. 2. Diploma in concern subject from Polytechnic. 3. experience in Projector work	
112	--do--	Vocational Trainer	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) passed in Vocational subject. 2. D.Ed Passed.	
113	--do--	Sub station Attendant	18	35	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed . 2. Wireman Certificate / Diploma from I.T.I.	--do--

**Schedule - 4**

[See rule - 19 (1)]

**Promotion Method, Experience and Departmental Promotion Committee  
Non-Ministerial Cadre of Medical Colleges and Subordinate Institutions Level  
Subordinate Offices of Directorate of Medical Education**

Name of the Department	Post from which promotion is to be made	Post to which promotion is to be made	Minimum experience for post from which promotion is to be made as shown in column(2)	Members of Departmental Promotion Committee	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Medical Education Dept.	Lab Attendant	Lab Assistant/Technical Assistant	Five years experience. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics	(1) Dean and Chief-Executive officer - Chairman (2) Senior most Professor-member (3) Senior most Hospital Superintendent-member (4) S.C./S.T. Representative-member (5) Senior most Administrative Officer-Member Secretary	
..	Lab Assistant/ Technical Assistant	Lab Technician/ Senior Technician	Five years experience. D.M.L.T./D.C.B./ Microbiology technician passed. Valid registration in M.P. Paramedical Council		
..	Lab Technician/ Senior Technician	Bio-chemist	Five Years experience		
..	Bio-chemist	Technical Supervisor	Five Years experience		
..	Dark Room Attendant/ X-ray Attendant	Dark Room Assistant.	Five Years experience Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics		-do-
..	Dark Room Assistant.	Radiographer/X-ray Technician/Dark Room Technician	Five Years experience Diploma / certificate		-do-

			in Radiographer Tech. Valid registration in M.P. Paramedical Council	
..	Radiographer/X-ray Technician/Dark Room Technician	Senior Radiographer	Five Years experience	-do-
..	Dresser Grade-2	Dresser Grade-1	Five Years experience	-do-
..	Dresser Grade-1	Pharmacist Grade-2	Five Years experience 2. Diploma in pharmacy. 3. Valid registration from pharmacy council.	-do-
..	Pharmacist Grade-2/Compounder (Old name)	Pharmacist Grade-1/ Store Keeper (For hospital store)	1. Five Years experience	-do-
..	Physiotherapy Technician	Senior physiotherapy technician	Five Years experience	-do-
..	O.T. Attendant	O.T. Assistant	Five Years experience Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> passed with Biology, Chemistry, Physics	-do-
..	O.T. Assistant	O.T. Technician	1. Five Years experience 2. Certificate / Diploma in O.T. Technician. 3. Valid registration from M.P. Paramedical Council.	-do-
..	Receptionist	Rehabilitation Assistant	Five Years experience	-do-

Assistant Librarian/ Cataloguer	Deputy Librarian	Five Years experience	-do-
Deputy Librarian	Librarian	Five Years experience	-do-
Cook	Head Cook	Five Years experience	-do-
Cleaner	Driver	1. Five Years experience 2. Heavy vehicle driving license	-do-
Pump Attendant	Pump operator	1. Five Years experience 2. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern 12 <sup>th</sup> Passed.	-do-
Sub overseer	Overseer	1. Five Years experience	-do-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.